

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 47 ]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 21 नवम्बर 2014—कार्तिक 30, शक 1936

## भाग ४

विषय-सूची

- |     |                        |                               |                                  |
|-----|------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| (क) | (1) मध्यप्रदेश विधेयक, | (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, | (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक. |
| (ख) | (1) अध्यादेश,          | (2) मध्यप्रदेश अधिनियम,       | (3) संसद् के अधिनियम.            |
| (ग) | (1) प्रारूप नियम,      | (2) अन्तिम नियम.              |                                  |

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अन्तिम नियम

विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति कल्याण विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 13 नवम्बर 2014

क्र. एफ 3-3-2014-बासठ.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, माध्यमिक शिक्षा मण्डल/व्यावसायिक परीक्षा मण्डल के द्वारा आयोजित परीक्षाओं में सम्मिलित विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति के विद्यार्थियों के परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ति योजना नियम-2014 का प्रकाशन किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
रवि डफरिया, उपसचिव.

माध्यमिक शिक्षा मण्डल/व्यावसायिक परीक्षा मण्डल के द्वारा आयोजित परीक्षाओं में सम्मिलित विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति के विद्यार्थियों के परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति योजना नियम, 2014

राज्य शासन द्वारा माध्यमिक शिक्षा मण्डल/व्यावसायिक परीक्षा मण्डल के द्वारा आयोजित परीक्षाओं में सम्मिलित विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति के विद्यार्थियों के परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति योजना बनाई जाती है :—

1. संक्षिप्त नाम—विस्तार एवं प्रारंभ

- 1.1 यह योजना माध्यमिक शिक्षा मण्डल/व्यावसायिक परीक्षा मण्डल के द्वारा आयोजित परीक्षाओं में सम्मिलित विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति के विद्यार्थियों के परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ति योजना कही जायेगी.
- 1.2 इनका विस्तार एवं कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य होगा.
- 1.3 ये योजना मध्यप्रदेश राज्य शासन द्वारा जारी किये जाने की दिनांक से प्रभावशील होगी.

2. योजना का उद्देश्य

मध्यप्रदेश के विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति के ऐसे छात्र जो माध्यमिक शिक्षा मण्डल/व्यावसायिक परीक्षा मण्डल के द्वारा आयोजित परीक्षाओं में सम्मिलित होंगे, उनके परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति का संपूर्ण व्यय भार विभाग द्वारा वहन किया जायेगा.

3. परिभाषायें

- 3.1 राज्य शासन से तात्पर्य मध्यप्रदेश शासन से है.
- 3.2 विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति से तात्पर्य उन जातियों से है, जिन्हें मध्यप्रदेश शासन द्वारा राज्य के लिये विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति घोषित किया गया है.
- 3.3 "कलेक्टर/जिलाध्यक्ष" से तात्पर्य जिला कलेक्टर से है.

4. योजना के अंतर्गत पात्रता

योजना के अंतर्गत पात्रता की शर्तें निम्नानुसार होंगी :—

- 4.1 छात्र मध्यप्रदेश की विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति का सदस्य हो.
- 4.2 विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति के माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा कक्षा 10वीं एवं 12वीं हेतु आयोजित बोर्ड परीक्षा में सम्मिलित स्वाध्यायी/नियमित विद्यार्थियों एवं पत्राचार पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों के परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति की जायेगी.
- 4.3 व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश भोपाल को परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति केवल शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु आयोजित प्रवेश परीक्षाओं यथा पी.एम.टी./पी.ई.टी./पी.पी.टी./पी.ए.टी इत्यादि हेतु ही किया जायेगा.
- 4.3 अभिभावकों की वार्षिक आय सीमा राज्य सरकार की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनांतर्गत निर्धारित वार्षिक आय सीमा रुपये 3.00 लाख अथवा इस आय सीमा में समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा की जाने वाली वृद्धि के बराबर होगी.
- 4.4 इस योजना का लाभ केवल उन्हीं विद्यार्थियों को दिया जावेगा, जिनको अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत लाभ नहीं मिला होगा.

### 5. योजनांतर्गत उपलब्ध सुविधाएं

- 5.1 योजना के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा मण्डल एवं व्यावसायिक शिक्षा मण्डल द्वारा आयोजित परीक्षाओं हेतु देय शुल्क की प्रतिपूर्ति की जायेगी.

### 6. भुगतान की प्रक्रिया

- 6.1 विद्यार्थियों को माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा आयोजित परीक्षाओं हेतु कोई परीक्षा शुल्क जमा नहीं करना होगा.
- 6.2 विद्यार्थियों द्वारा परीक्षा का आवेदन-पत्र भरते समय योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु संबंधित संस्था के प्राचार्य को आवेदन प्रस्तुत करना होगा. संबंधित संस्था के प्राचार्य प्राप्त आवेदनों के आधार पर संकलित जानकारी माध्यमिक शिक्षा मण्डल को सूचित करेंगे. संस्था के प्राचार्य द्वारा जो जानकारी माध्यमिक शिक्षा मण्डल को भेजी जावेगी, उसकी प्रति विभाग को भी भेजी जावेगी.
- 6.3 माध्यमिक शिक्षा मण्डल इन जनजातियों के विद्यार्थियों की सूची विभाग को भेजकर शुल्क प्रतिपूर्ति की मांग करेंगे. विभाग द्वारा शुल्क की प्रतिपूर्ति की जायेगी.
- 6.4 व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षाओं यथा पी.एम.टी./पी.ई.टी./पी.पी.टी/पी.ए.टी. इत्यादि में शुल्क का भुगतान आवेदक को नहीं करना होगा, उसके स्थान पर व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, विभाग से शुल्क की प्रतिपूर्ति हेतु मांग करेगा. विभाग द्वारा उक्त शुल्क की प्रतिपूर्ति व्यावसायिक परीक्षा मण्डल को की जायेगी.
- 6.5 इस योजना का व्यय योजनांतर्गत राज्य शासन द्वारा प्रावधानित राशि से किया जायेगा.

### 7. स्वीकृति के अधिकार

- 7.1 माध्यमिक शिक्षा मण्डल एवं व्यावसायिक परीक्षा मण्डल को देय शुल्क प्रतिपूर्ति की राशि की स्वीकृति के अधिकार-आयुक्त-सह-संचालक, विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति विकास को होंगे.

### 8. उपयोगिता प्रमाण-पत्र का प्रदाय

- 8.1 प्रदाय की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र माध्यमिक शिक्षा मण्डल एवं व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा.

### 9. अनुश्रवण एवं मूल्यांकन

- 9.1 विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति संचालनालय द्वारा समय-समय पर योजना का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन किया जावेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
रवि डफरिया, उपसचिव.

### श्रम विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 20 नवम्बर 2014

के राज्यपाल, एतद्वारा, मध्यप्रदेश श्रम न्यायिक (तृतीय श्रेणी अराजपत्रित) सेवा भरती नियम, 1965 में, निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

### संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 8 में, :—

- (1) नियम 8 में, उप नियम (1) में खण्ड (ग) में, उप खण्ड (एक) और दो में, अंक तथा शब्द “38 वर्ष” के स्थान पर, अंक तथा शब्द “40 वर्ष” स्थापित किया जाए,
- (2) नियम 9 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किए जाएं, अर्थात् :—

“(1) किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए किसी भी साधन से समर्थन अभिप्राप्त करने के लिए किया गया कोई भी प्रयास नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उसके परीक्षा/चयन में सम्मिलित होने के संबंध में निरर्हता माना जाएगा.

(2) कोई भी अभ्यर्थी, जिसने विवाह के लिये विहित की गई आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी भी सेवा में या पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा.

(3) कोई भी अभ्यर्थी जिसकी दो से अधिक जीवित संतान हो जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो, किसी सेवा या पद के लिये पात्र नहीं होगा :

परन्तु कोई भी अभ्यर्थी जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो, जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये निरर्हित नहीं होगा.

(4) कोई भी अभ्यर्थी जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध-दोष ठहारा गया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा:

परन्तु जहां किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध ऐसे मामले किसी न्यायालय में लंबित हों वहां उसकी नियुक्ति का मामला आपराधिक प्रकरण के अंतिम विनिश्चय तक लंबित रखा जाएगा.”

- (3) नियम 11 में, उप-नियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“(3) सीधी भर्ती हेतु उपलब्ध 16 प्रतिशत, 20 प्रतिशत तथा 14 प्रतिशत रिक्तियां क्रमशः अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्यों हेतु आरक्षित रखी जाएगी.”

- (4) विद्यमान अनुसूची-एक, दो, तीन तथा चार के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूचियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

### अनुसूची-एक

(नियम 5 देखिए)

### सेवा में वर्गीकरण वेतनमान और सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या

अनु- क्रमांक	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	अधीक्षक	4	तृतीय श्रेणी अराजपत्रित	9300-34800+3600
2	ऑडीटर	2	—तदैव—	9300-34800+3200
3	शीघ्र लेखक ग्रेड-एक	1	—तदैव—	9300-34800+4200
4	शीघ्र लेखक ग्रेड-दो	2	—तदैव—	9300-34800+3600
5	शीघ्र लेखक	5	—तदैव—	5200-20200+2800
6	सहायक ग्रेड-एक	30	—तदैव—	5200-20200+2800
7	लेखापाल	5	—तदैव—	5200-20200+2400
8	सहायक ग्रेड-दो	67	—तदैव—	5200-20200+2400
9	स्टेनो टाईपिस्ट	25	—तदैव—	5200-20200+1900
10	सहायक ग्रेड-तीन	74	—तदैव—	5200-20200+1900

अनुसूची-दो  
(नियम 6 देखिए)

भर्ती का तरीका

विभाग का नाम	सेवा का नाम	सेवा में सम्मिलित पदों का नाम	कर्तव्य पदों की कुल संख्या	भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता			अभियुक्ति
				सीधी भर्ती द्वारा [नियम 6(1) (क) देखिए]	सेवा के सदस्यों की पदोन्नति के द्वारा [नियम 6(1) (ख) देखिए]	अन्य सेवाओं से व्यक्तियों के स्थानांतरण/ प्रतिनियुक्ति के द्वारा [नियम 6(1) (ग) देखिए]	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
श्रम विभाग	म.प्र. श्रम न्यायिक (तृतीय श्रेणी अराजपत्रित सेवा).	अधीक्षक	4	-	100%	-	वरिष्ठता-सह-उपयुक्तता के आधार पर पदोन्नति द्वारा.  वे कर्मचारी जिन्होंने स्टेनोटाइपिस्ट के पद पर 5 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो तथा जो शासन द्वारा शीघ्रलेखक के पद के लिए विहित शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताएं रखते हों, शीघ्रलेखक के पद हेतु अर्ह होंगे.  सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्र. सी/3-7/97/3/एक दिनांक 16-5-97 के अनुसार.
		ऑडीटर	2	-	100%	-	
		शीघ्रलेखक ग्रेड-एक	1	-	100%	-	
		शीघ्रलेखक ग्रेड-दो	2	-	100%	-	
		शीघ्रलेखक	5	50%	50%	-	
		सहायक ग्रेड-एक	30	-	100%	-	
		लेखापाल	5	-	100%	-	
		सहायक ग्रेड-दो	67	-	100%	-	
		स्टेनोटाइपिस्ट	25	100%	-	-	
सहायक ग्रेड-तीन	74	75%	25%	-			

अनुसूची-तीन  
(नियम 8 देखिए)

आवश्यक शैक्षणिक अर्हताएं तथा सामान्य आयु-सीमा

विभाग का नाम	सेवा का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	शैक्षणिक अर्हता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
श्रम विभाग	मध्यप्रदेश श्रम न्यायिक (तृतीय श्रेणी अराजपत्रित) सेवा. शीघ्रलेखक	18	40	(1) शासन द्वारा मान्यताप्राप्त माध्यमिक शिक्षा मण्डल/संस्था से (10+2) पद्धति से हायर सेकेण्ड्री प्रमाण-पत्र परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				<p>(2) शासन द्वारा मान्यताप्राप्त बोर्ड/संस्था से 100 शब्द प्रति मिनट की गति से शीघ्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए.</p> <p>(3) शासन द्वारा मान्यताप्राप्त बोर्ड/संस्था से 30 शब्द प्रति मिनट की गति से हिन्दी टायपिंग परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए.</p> <p>(4) नीचे उल्लिखित विश्वविद्यालय/संस्था से एक वर्षीय कम्प्यूटर पत्रोपाधि :—</p> <p>(क) यू.जी.सी. द्वारा मान्यताप्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से पत्रोपाधि.</p> <p>(ख) यू.जी.सी. द्वारा मान्यताप्राप्त किसी भी मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रोपाधि.</p> <p>(ग) डी.ओ.ई.ए.सी.सी. से पत्रोपाधि.</p> <p>(घ) शासकीय पोलेटेक्निक कालेज से मार्डन ऑफिस मैनेजमेंट कोर्स.</p> <p>(ङ) शासकीय आई.टी.आई. से 1 वर्षीय कम्प्यूटर आपरेटर एवं प्रोग्रामिंग असिस्टेंट (COPA) प्रमाण-पत्र.</p>
सहायक ग्रेड-तीन		18	40	<p>(1) शासन द्वारा मान्यताप्राप्त माध्यमिक शिक्षा मण्डल/संस्था से (10+2) पद्धति से हायर सेकेण्ड्री प्रमाण-पत्र परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए.</p> <p>(2) शासन द्वारा मान्यताप्राप्त मण्डल/संस्था से 30 शब्द प्रति मिनट की गति से हिन्दी टायपिंग परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए.</p> <p>(3) नीचे उल्लिखित विश्वविद्यालय/संस्था से एक वर्षीय कम्प्यूटर पत्रोपाधि :—</p> <p>(क) यू.जी.सी. द्वारा मान्यताप्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से पत्रोपाधि.</p> <p>(ख) यू.जी.सी. द्वारा मान्यताप्राप्त किसी भी मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रोपाधि.</p> <p>(ग) डी.ओ.ई.ए.सी.सी. से पत्रोपाधि.</p> <p>(घ) शासकीय पोलेटेक्निक कालेज से मार्डन ऑफिस मैनेजमेंट कोर्स.</p> <p>(ङ) शासकीय आई.टी.आई. से 1 वर्षीय कम्प्यूटर आपरेटर एवं प्रोग्रामिंग असिस्टेंट (COPA) प्रमाण-पत्र.</p>
स्टेनोटाईपिस्ट		18	40	<p>(1) शासन द्वारा मान्यताप्राप्त माध्यमिक शिक्षा मण्डल/संस्था से (10+2) पद्धति से हायर सेकेण्ड्री प्रमाण-पत्र परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए.</p> <p>(2) शासन द्वारा मान्यताप्राप्त बोर्ड/संस्था से 80 शब्द प्रति मिनट की गति से हिन्दी शीघ्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए.</p> <p>(3) शासन द्वारा मान्यताप्राप्त बोर्ड/संस्था से 30 शब्द प्रति मिनट की गति से हिन्दी टायपिंग परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए.</p> <p>(4) नीचे उल्लिखित विश्वविद्यालय/संस्था से एक वर्षीय कम्प्यूटर पत्रोपाधि :—</p> <p>(क) यू.जी.सी. द्वारा मान्यताप्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से पत्रोपाधि.</p> <p>(ख) यू.जी.सी. द्वारा मान्यताप्राप्त किसी भी मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रोपाधि.</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				(ग) डी.ओ.ई.ए.सी.सी. से पत्रोपाधि.
				(घ) शासकीय पोलेटेक्निक कालेज से मार्टन ऑफिस मैनेजमेंट कोर्स.
				(ङ) शासकीय आई.टी.आई. से 1 वर्षीय कम्प्यूटर आपरेटर एवं प्रोग्रामिंग असिस्टेंट (COPA) प्रमाण-पत्र.

**अनुसूची-चार**  
(नियम 13 देखिए)

विभाग का नाम	उस सेवा या पद का नाम जिससे पदोन्नति की जाना है	उस सेवा या पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जाना है	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यों के नाम (नियम 14 देखिए)
(1)	(2)	(3)	(4)
श्रम विभाग	1. सहायक ग्रेड-एक 2. शीघ्रलेखक ग्रेड-दो 3. शीघ्रलेखक ग्रेड-तीन	अधीक्षक/ऑडीटर शीघ्रलेखक ग्रेड-एक शीघ्रलेखक ग्रेड-दो	(1) अध्यक्ष, औद्योगिक न्यायालय — अध्यक्ष (2) सदस्य, औद्योगिक न्यायालय — सदस्य (3) अध्यक्ष द्वारा नाम-निर्दिष्ट — सदस्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का एक सदस्य.
	4. लेखापाल/सहायक ग्रेड-दो	सहायक ग्रेड-एक	—तदैव—
	5. स्टेनोग्राफिस्ट	शीघ्रलेखक	—तदैव—
	6. सहायक ग्रेड-तीन	लेखापाल/सहायक ग्रेड-दो	—तदैव—
	7. भृत्य	सहायक ग्रेड-तीन	—तदैव—

No. F. 1(A)1-14-A-XVI.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendments in the Madhya Pradesh Labour Judiciary Service (Class-III-Non-Gazetted) Recruitment Rules, 1965, namely :—

**AMENDMENT**

In the said rules, in rule 8,—

- (1) In rule 8, in sub-rule (1), in clause (c), in sub-clause (i) and (ii), for the figure and word “38 years”, the figure and word “40 years” shall be substituted;
- (2) For rule 9, the following rule shall be substituted namely :—

- “(1) Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his candidature by any means may be held by the Appointing Authority to disqualify him for appearing in the examination/selection.
- (2) No candidates shall be eligible for appointment to a service or post, who has married before attaining the age prescribed for marriage.
- (3) A candidate shall not be eligible for any service or post, who has more than two living children one of whom is born on or after 26th January, 2001 :

Provided that no candidate shall be disqualified for appointment to a service or post who has already one living child and next delivery, takes place on or after 26th day of January, 2001 in which two or more than two children are born.

(4) No candidate shall be eligible for the appointment to any service or post who has been convicted for an offence against women :

Provided that where such cases are pending in a court against a candidate, his case of appointment shall be kept pending till the final decision of the criminal case.”

(3) In rule 11, for sub-rule (3), the following sub-rule shall be substituted, namely :—

“(3) 16 percent, 20 percent and 14 percent of the available vacancies for direct recruitment shall be reserved for candidates who are members of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes respectively.”

(4) For the existing Schedule-I, II, III and IV the following, Schedule shall be substituted, namely :—

“SCHEDULE –I  
(See Rule 5)

**Classification, Scale of Pay and Number of Posts included in the Service**

S.No. (1)	Name of Posts included in the Service (2)	Number of Posts (3)	Classification (4)	Scale of Pay (5)
1	Superintendent	4	Non-Gazetted Class -III	9300-34800+3600
2	Auditor	2	—do—	9300-34800+3200
3	Stenographer Grade-I	1	—do—	9300-34800+4200
4	Stenographer Grade-II	2	—do—	9300-34800+3600
5	Stenographer	5	—do—	5200-20200+2800
6	Assistant Grade-I	30	—do—	5200-20200+2800
7	Accountant	5	—do—	5200-20200+2400
8	Assistant Grade-II	67	—do—	5200-20200+2400
9	Stenotypist	25	—do—	5200-20200+1900
10	Assistant Grade-III	74	—do—	5200-20200+1900

**SCHEDULE-II**

(Vide Rule 6)

**Method of Recruitment**

Name of the Depart- ment.	Name of Service	Name of posts Included in the Service	Total No. of duty Posts	Percentage of Posts to be filled up			Remark
				By direct recruitment [vide Rule 6(1)(a)]	By Promotion of members of the Service [vide Rule 6(1)(b)]	By transfer/ Deputation of persons from other Services [vide Rule 6(1)(c)]	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Labour Depart- ment.	Madhya Pradesh Labour Judiciary (Class-III Non- Gazetted) Service.	Superintendent	4	-	100%	-	By Promotion on the basis of Seniority cum suitability.



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Auditor		2	-	100%	-	
	Stenographer Grade-1.		1	-	100%	-	
	Stenographer Grade-II.		2	-	100%	-	
	Stenographer		5	50%	50%	-	The Employees who have completed 5 years of service on the post of Stenotypist and possess education and other qualification prescribed by the Government for the post of Stenographer shall be eligible for this post.
	Assistant Grade-1		30	-	100%	-	
	Accountant		5	-	100%	-	
	Assistant Grade-II		67	-	100%	-	
	Stenotypist		25	100%	-	-	
	Assistant Grade-III		74	75%	25%	-	
							As per GAD Memo No. C/37/97/3/1, dated 16-05-1997.

**SCHEDULE-III**  
(vide Rule 8)

**Essential Educational Qualification and General Age Limit**

Name of the Department	Name of Service	Minimum age limit	Upper age Limit	Educational Qualification
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Labour Department.	M.P. Labour Judiciary (Class-III Non-Gazetted) Service.			
	Stenographer	18	40	<ol style="list-style-type: none"> <li>Candidates must have passed Higher Secondary School Certificate Examination (10+2) pattern from Board of Secondary Education/Institution recognised by Government.</li> <li>Candidates must have passed in Stenography with 100 words per minute speed from Board/Institution recognised by Government.</li> <li>Candidates must have passed in Hindi Typing with 30 words per minute speed from Board/Institution recognised by Government.</li> </ol>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				<p>4. One year Computer Diploma from any recognised University/Institution mentioned below :—</p> <p>(a) Diploma from any University recognised by UGC.</p> <p>(b) Diploma from any Open University recognised by UGC.</p> <p>(c) Diploma from D.O.I.A.C.C.</p> <p>(d) Modern Office Management Course from Government Polytechnic College.</p> <p>(e) One Year Certificate in Computer Operator &amp; Programming Assistant (COPA) from Government I.T.I.</p>
	Assistant Gr.-III	18	40	<p>1. Candidates must have passed Higher Secondary School Certificate Examination (10+2) pattern from Board of Secondary Education/Institution recognised by Government.</p> <p>2. Candidates must have passed in Hindi Typing with 30 words per minute speed from Board/Institution recognised by Government.</p> <p>3. One year Computer Diploma from any recognised University/Institution mentioned below :—</p> <p>(a) Diploma from any University recognised by UGC.</p> <p>(b) Diploma from any Open University recognised by UGC.</p> <p>(c) Diploma from D.O.I.A.C.C.</p> <p>(d) Modern Office Management Course from Government Polytechnic College.</p> <p>(e) One Year Certificate in Computer Operator &amp; Programming Assistant (COPA) from Government I.T.I.</p>
	Stenotypist	18	40	<p>1. Candidates must have passed Higher Secondary School Certificate Examination (10+2) pattern from Board of Secondary Education/Institution recognised by Government.</p> <p>2. Candidates must have passed in Hindi Stenography with 80 words per minute speed from Board/Institution recognised by Government.</p> <p>3. Candidates must have passed in Hindi Typing with 30 words per minute speed from Board/Institution recognised by Government.</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				4. One year Computer Diploma from any recognised University/Institution mentioned below :—
				(a) Diploma from any University recognised by UGC.
				(b) Diploma from any Open University recognised by UGC.
				(c) Diploma from D.O.I.A.C.C.
				(d) Modern Office Management Course from Government Polytechnic College.
				(e) One Year Certificate in Computer Operator & Programming Assistant (COPA) from Government I.T.I.

SCHEDULE-IV  
(Vide Rule 13)

Name of Department	Name of Service or Post from which promotion is to be made	Name of Service or post to which promotion is to be made	Name of Members of the Departmental Promotion Committee (vide Rule 14)
(1)	(2)	(3)	(4)
Labour Department.	1. Assistant Grade-I	Superintendent/Auditor	1. President, Industrial Court — President
	2. Stenographer Grade-II.	Stenographer Grade-I	2. Member, Industrial Court — Member
	3. Stenographer Grade-III.	Stenographer Grade-II	3. One member nominated by the President belonging to Schedule cast/Schedule tribe. — Member
	4. Accountant/ Assistant Grade-II.	Assistant Grade-I	—” —
	5. Stenotypist	Stenographer	—” —
	6. Assistant Grade-III	Accountant/ Assistant Grade-II.	—” —
	7. Peon	Assistant Grade-III	—” —

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
श्रीनिवास शर्मा, उपसचिव.